फर्द अहकाम

मोतीलाल बनाम घासीलाल

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

केस संख्या 98/2024 (2024/68)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	21/04/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं बहस पर मनन पश्चात हम पाते है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि ख.नं. 661 एवं अप्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की भूमि ख.नं. 658 है, जिसकी एक ही सीमा जोड़ है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि ख.नं. 661 स्थित ग्राम कानोता के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः ग्राम कानोता ख.नं. 661 रकबा 1.3783 हे० में प्रार्थीगण काबिज काश्त होकर राजस्व	

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय बनाम

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष टि...
		रिकॉर्ड में दर्ज होने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम कानोता ख.न. 661 में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें एवं सीमा को खुर्दबुर्द कर निर्माण नहीं करे इस हेतु तायिकशुदा मूल वाद के अप्रार्थी सं. 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला-जयपुर	